राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : **797, 798, 799, एवं 800 / 2017**.. जिलाः जयपुर

मैसर्स फण्डा ऑडियो (इण्डिया) प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक **आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर** व अपीलीय **प्राधिकारी–तृतीय,** वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2017	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**	

अपीलार्थी की ओर से **श्री पंकज** घीया, अभिभाषक एवं विभाग **की ओर से** उप राजकीय **अभिभाषक** श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी **व्यवहारी** की ओर से अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक **कर,जयपुर** (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''**कहा** जायेगा) के द्वारा पारित **आदेश क्रमशः दिनांक** 17.03.2017, **जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा)** की **धारा 38(4)** के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरूद्ध उपरोक्त चार अपीलें मय **स्थगन** प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी **हैं, जिनमें सहायक** आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, **संभाग–प्रथम,** जयपुर **(जिसे आगे** 'निर्धारण अधिकारी' **कहा जायेगा)** द्वारा **अधिनियम** की **धारा 26, 55** व **61** के अन्तर्गत वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 **एवं 2014–15** के लिए पारित कर निर्धारण **आदेश** क्रमशः 20.01.2017 के द्वारा **निम्न तालिका** के अनुसार कायम की गयी मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने हेतु **स्थगन प्रार्थना** पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों की वसूली पर रोक लगाते हुए कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए शेष कर एवं **ब्याज राशियों की** वसूली को स्थगित **किये जाने का** निवेदन किया गया है :–

अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5
797 / 17	2115154 / –	1389178 / –	4230308 / –	3504332 / –
798 / 17	3224391 / –	1729709 / –	6448782 / –	4954100 / –
799 / 17	**2375666 / –**	989335 / –	4751332 / –	3365001 / –
800 / 17	**2378627 / –**	**725990** / –	4757254 / –	3104617 / –

उभय पक्षों के विद्वान **अधिवक्तागण** के तर्क सुने गए, अधीनस्थ **न्यायालयों** द्वारा पारित आदेश का **अध्ययन** किया गया एवं पत्रावली का

अवलोकन किया गया, जिससे ज्ञात होता है कि आलोच्य अवधियों में अपीलार्थी द्वारा स्पीकर सिस्टम व डी वी डी प्लेयर आदि का विक्रय किया गया है, जिनमें कर दर का **विवाद अपीलों में अंतर्ग्रस्त(involve) है।**

अपीलीय अधिकारी के आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों की वसूली पर रोक लगाते हुए आरोपित कर एवं ब्याज पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में कोई कारण अपीलाधीन आदेशों में अंकित नहीं किया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश में वसूली योग्य विवादित राशियॉ, जो उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 5 में अंकित है, के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) पेश करने की शर्त पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 6 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

23/5/2012
(के.एल.जैन)
सदस्य